नागेंद्र चंद्र आदि

बनाम

झारखंड राज्य और आदि

नवंबर 28, 2007

[बी. एन. अग्रवाल, तरूण चटर्जी और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

सेवा कानूनः बिहार पुलिस नियमावलीः नियम 663 (घ)- पुलिस कान्स्टेबल की सेवाओं की समाप्ति- इस आधार पर कि ना तो रिक्तियों का समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया ना ही रोजगार कार्यालय के माध्यम से, बल्कि क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया। माना: नियुक्तियाेंं में केवल नियम 663(घ) का उल्लंघन नहीं था, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन भी था। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त करना बिल्कुल उचित था। हालाँक, उनके मामलों में भविष्य में आयु सीमा में छूट के आधार पर उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है- भारत का संविधान, अनुच्छेद 14 और 16

बड़ी संख्या में पुलिस कांस्टेबलों को सेवा से इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि रिक्तियों का विज्ञापन समाचार पत्र में नहीं दिया गया

था जैसा कि परिकल्पना की गई है और ना ही रोजगार कार्यालय के माध्यम से जैसा कि बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663(घ) में उल्लेखित है, बल्कि क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अंत में सक्षम अधिकारी के फैसले को इस संशोधन के साथ बरकरार रखा कि सेवा से बर्खास्तगी को समाप्ति के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए।

कांस्टेबलों द्वारा दायर वर्तमान अपील में यह निर्धारण योग्य प्रश्न था कि:- क्या अपीलार्थीगण की नियुक्तियां बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (घ) के उल्लंघन के कारण अनियमित या अवैध थी।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए यह माना कि-

1.1 बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663(घ) के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि नियम की आवश्यकता है कि समाचार पत्रों में रिक्तियों काे अधिसूचित करना और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से विज्ञापन देना, जो कि निर्विवाद रूप से वर्तमान मामले में नहीं किया गया है क्योंकि यहां रिक्तियों को नोटिस के माध्यम से नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित किया गया।

1.2. यदि कोई नियुक्ति भर्ती नियमों का उल्लंघन करके की जाती है तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा और शून्य होने से रद्द की जा सकती है। वर्तमान मामले में चूंकि समाचार पत्रों में

रिक्तियों का विज्ञापन नहीं दिया गया था, इसीलिए भी की गई नियुक्तियां ना केवल बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (घ) के उल्लंघन में की गई , बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन था, जिसके कारण अपीलार्थीगण की नियुक्ति अवैध हुई। ऐसे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवाओं को समाप्त करना बिल्कुल उचित था और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश बरकरार रखना बिल्कुल उचित था।

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य [2006] 4 एससीसी 1; अश्वनी कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य., [1996] 7 SCC 577; अश्वनी कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य., [1997] 2 SCC 1 और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और अन्य बनाम सोमवीर सिंह,[2006] 5 sec 493,निर्भर हुए।

1.3 तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थीगण चौदह वर्ष की अवधि तक सेवा में बने रहे है, भविष्य में उनकी नियुक्ति पर शायद विचार किया जा सकता है और आयु सीमा यदि कोई हो तो इनके संबंध में उम्र में ढील दी जा सकती है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2007 की 5460-5465

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और आदेश दिनांक 30.3.2005, डब्ल्यू. पी. संख्या 2469, 2470, 2471, 3911, 4831 और 2004 की 5697 से।

परमजीत सिंह पटवालिया, रुद्रेश्वर सिंह, तपेश सिंह, कुमार रंजन, कौशिक पोद्दार, गोपाल कुमार झा और संजय जैन वास्ते अपीलार्थीगण

पी. एस. मिश्रा, रतन कुमार चौधरी, ध्रुव कुमार झा, रविचंद्र प्रकाश, उपेंद्र मिश्रा और मनु शंकर मिश्रा वास्ते प्रत्यर्थीगण

न्यायालय का निर्णय बी. एन. अग्रवाल, जे. के द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थीगण को कई अन्य लोगों के साथ, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, रांची के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नोटिस के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों की पालना में वर्ष 1990 में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, जब यह पता चला कि रिक्तियों का विज्ञापन ना तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से दिया गया था और ना ही समाचार पत्रों में तो पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक ने निर्देश दिया कि अपीलार्थीगण सहित ऐसे सभी व्यक्तियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए और परिणामस्वरूप उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कुछ कांस्टेबल ने अपनी बर्खास्तगी के आदेशों को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की, जिन्हें उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर रद्द कर

दिया कि आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किए गए थे, जिसके खिलाफ झारखंड राज्य ने उच्च न्यायालय में पत्र पेटेंट अपील दायर की थी। इसी बीच,अपीलार्थीगण ने अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर करके अपने बर्खास्तगी के आदेशों को भी चुनौती दी और उनकी रिट याचिकाएं और पत्र पेटेंट अपीलों को एक खंड पीठ द्वारा एक साथ सुना गया और आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने पत्र पेटेंट अपील की अनुमति दी, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों को खारिज कर दिया और अपीलार्थीगण की तरफ से दायर रिट याचिकाओं को केवल इस संशोधन के साथ खारिज कर दिया कि सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को समाप्ति के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। अतः विशेष अनुमति से यह अपील।

3. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि रिक्तियों का विज्ञापन ना तो रोजगार कार्यालय के माध्यम से दिया गया था और ना ही किसी समाचार पत्र में, जैसा कि बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663(घ) के तहत आवश्यक था, लेकिन जहां नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया था, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त नियम का उल्लंघन हुआ था; ऐसे में अपीलार्थीगण की सेवाएं समाप्त नहीं की जानी चाहिए थीं, खासकर तब जब वे चौदह साल की अवधि तक सेवा में बने रहे हों। दूसरी ओर झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि नियम 663(घ) का उल्लंघन करने से

नियुक्तियां अवैध थीं, इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण की सेवाओं को समाप्त करना बिल्कुल उचित था।

4. सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमोदवी और अन्य, [2006] 4 एससीसी 1 के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि भर्ती नियमों के उल्लंघन में की गई कोई भी नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (इसके बाद इसे 'संविधान' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), का उल्लंघन होगा इस कारण शून्य होगीं। भले ही नियुक्त व्यक्ति लंबे समय तक सेवा में बना रहा हो, उसे आगे भी सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है लेकिन यदि, फिर भी, यह पाया गया कि नियुक्ति अवैध नहीं बल्कि अनियमित थी तो उस स्थिति में उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती थी और यदि उसने विधिवत स्वीकृत पद पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया हो तो उसे नियमित किया जा सकता था।

5. इस प्रकार, हमारे समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं किक्या अपीलार्थीगण की नियुक्तियां बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (घ) के उल्लंघन के कारण अनियमित या अवैध थी।

6. बिहार पुलिस नियमावली का नियम 663 इस प्रकार हैः-

"रंगरूटों का चयन – (क) 19 से 27 वर्ष की आयु के मजबूत, स्वस्थ, युवा पुरुष और जिन्होंने माध्यमिक (यानी, मैट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण

की है, का चयन जहां तक संभव हो रंगरूटों में किया जाएगा। शारीरिक परीक्षण का मानक वही होगा जो उप-निरीक्षकों के लिए परिशिष्ट 38, खंड 9 में दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष तक है और शैक्षणिक योग्यता यदि मैट्रिक उपलब्ध नहीं है तो कम करके मिडिल पास किया जा सकता है। ऊंचाई और छाती के माप के मानक नीचे दिए गए हैं- ये न्यूनतम हैं और अधीक्षकों को उच्च स्तर के पुरुषों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिएः-

(i) सामान्य वर्ग के लिए- ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और छाती 80 सेंटीमीटर।

(ii) अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए- ऊंचाई 158 सेंटीमीटर और छाती 78 सेंटीमीटर।

नोट- छाती को मापने में मापने वाला टेप सामान रूप से लगाया जाना चाहिए लेकिन कसकर नहीं, इसका ऊपरी किनारा कंधे के ब्लेड की निचली सीमा को छूता हुआ और इसका निचला किनारा निप्पल के ठीक ऊपर से गुजरता हुआ,भुजाएं बगल में लटकती हुई । मानक न्यूनतम माप है, जिसमें छाती पूरी तरह से पिचक जाती है। माप लेने से ठीक पहले अभ्यर्थी को बिना सांस लिए और बिना जल्दबाजी किए तीस तक गिनती गिनवाई जाएगी।

(iii) गोरखा जाति के लिए कोई शारीरिक मानक नहीं है, जो भारत के निवासी हैं और सर्वोत्तम शारीरिक गठन वाले और कम से कम साक्षर पुरुषों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

नोट- नेपाली व्यक्ति को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।

(बी) भर्ती के समय भर्ती का माप अधीक्षक की उपस्थिति में आरक्षित निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(सी) चयन बोर्ड को 27 वर्ष के अधिक उम्र के पुरुषों या विशेष कारणों से माप के मानक से नीचे के पुरुषों का चयन करने से नहीं रोका गया है, लेकिन यह केवल अच्छे आधार पर ही ऐसा करेगा। भर्ती से पहले उप महानिरीक्षक ऊंचाई और छाती में केवल 2.5 सेमी की छूट दे सकते हैं।

(डी) भर्ती एक वर्ष में दो बार इस तरह से की जाएगी कि भर्ती सत्र शुरू होने से पहले कांस्टेबल प्रशिक्षण स्कूल में जाने के लिए तैयार हों। जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अधीक्षक रिक्तियों की सटीक संख्या बताते हुए समाचार पत्रों में उम्मीदवारों के चयन की सूचियां प्रकाशित करेगा और रोजगार कार्यालय के माध्यम से विज्ञापन भी देगा। वह यह प्रयास करेगा कि चयन पूरा हो जाए और परिणाम उसी दिन या अगले दिन उम्मीदवारों के सामने रख दिया जाएं ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से रूकने पर मजबूर न होना पड़े। चिकित्सा परीक्षण में संभाावित

अयोग्य होने के कारण कुछ अतिरिक्त लाेगों को छोड़कर विज्ञापित संख्या से अधिक उम्मीदवारों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जानी चाहिए।

उपरोक्त नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि नियम की आवश्यकता है कि समाचार पत्रों में रिक्तियों काे अधिसूचित करना और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से विज्ञापन देना, जो कि निर्विवाद रूप से वर्तमान मामले में नहीं किया गया है क्योंकि यहां रिक्तियों को नोटिस के माध्यम से नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित किया गया।

7. अश्वनी कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [1996] 7 एससीसी 577, के मामले में बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक मल्लिक द्वारा नोटिस बोर्ड पर रिक्तियों को अधिसूचित करके बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई। जब अवैधता को सरकार के संज्ञान में लाया गया, तो नियुक्तियां रद्द कर दी गई, जिसके कारण उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करना आवश्यक हो गया, जिसे खारिज कर दिया गया और जब मामला इस न्यायालय में लाया गया, तो मामलों को 2- न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया। जिनमें के. रामास्वामी और बी.एल.हंसारिया, जे.जे. थे, दोनों विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद था। के. रामास्वामी, जे. (जैसा कि उस समय उनका अाधिपत्य था) ने माना कि रिक्तियों को नोटिस बोर्ड पर लगाया जाना, संविधान के अनुच्छेद 14

और 16 का घोर उल्लंघन था। विद्वान न्यायाधीश ने अनुच्छेद 26 पृष्ठ 594 पर इसकी टिप्पणी कीः-

> ''बेशक, पटना में क्षय रोग केंद्र के नोटिस बोर्ड पर रिक्तियों को लगाने के अलावा, खुले बाजार से आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था और ना ही नाम रोजगार कार्यालय से मांगे गए थे.. मल्लिक द्वारा नियुक्ति करने में या नोटिस बोर्ड पर लगाई गई रिक्तियों की अधिसूचना की पालना में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्देश देने में अपनी गई प्रक्रिया उनके द्वारा चरणबद्ध तरीके से की गई थी और यह संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 (1) का घोर उल्लंघन है।''

हंसारिया, जे., रामास्वामी, जे. द्वारा व्यक्त किए गए उपरोक्त विचार से असहमत थे और इसीलिए मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया था, अश्विनी कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [1997] 2 एससीसी 1 में उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया और अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया कि बिहार राज्य में प्रसारित होने वाले सभी अखबारों में नोटिस प्रकाशित कर रिक्ति को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जावे।

8. नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड और अन्य बनाम साेमवीर सिंह, [2006]5 एससीसी 493 के मामले में यह न्यायालय भर्ती और पदोन्नति नियमों के नियम 1.5 के तहत भर्ती के मामले से निपट रहा था जिसके लिए'' ''

उपक्रम जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार एक राज्य है, ने नियुक्तियां बिना विज्ञापन के की थी। नियुक्त किए गए लोगों ने अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे अनुमति दे दी गई और उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, जब मामला इस न्यायालय में लाया गया तो नियमितीकरण के आदेशों को इस आधार पर रद्द किया गया कि प्रारंभिक नियुक्तियां नियमों का उल्लंघन और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के फलस्वरूप शून्य थी। न्यायालय ने पृष्ठ 497 पर अनुच्छेद 13 में इस प्रकार टिप्पणी कीः-

> ''....माना जाता है कि रिक्तियों के अस्तित्व के संबंध में किसी समाचार पत्र में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था और ना ही रोजगार कार्यालय को रिक्तियों के बाबत् सूचित किया गया था। अब यह घिसा-पिटा कानून है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत् शब्द ''राज्य , अनुच्छेद 14 और 16 में छायांकित संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने

के लिए बाध्य है। जब भर्ती नियम बनाए जाते हैं, तो नियोक्ता उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, ऐसे नियमों के उल्लंघन में की गई नियुक्ति नियम को अमान्य कर देगी।''

9. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यदि कोई नियुक्ति भर्ती नियमों का उल्लंघन करके की जाती है तो वह संविधान के अनुच्छे 14 और 16 का उल्लंघन होगा और शून्य होने से रद्द की जा सकती है। वर्तमान मामले में चूंकि समाचार पत्रों में रिक्तियों का विज्ञापन नहीं दिया गया था, इसीलिए भी की गई नियुक्तियां ना केवल बिहार पुलिस नियमा-वली के नियम 663 (घ) के उल्लंघन में की गई, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन था, जिसके कारण अपीलार्थीगण की नियुक्ति अवैध हुई। ऐसे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवाओं को समाप्त करना बिल्कुल उचित था और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा इसे बरकरार रखना बिल्कुल उचित था।

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थीगण चौदह वर्ष की अवधि तक सेवा में बने रहे है, भविष्य में उनकी नियुक्ति पर शायद विचार किया जा सकता है और आयु सीमा यदि कोई हो तो इनके संबंध में उम्र में ढील दी जा सकती है। खर्चा के रूप में कोई आदेश नहीं

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनिया बेनिवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।